न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1166/2003/अजमेर

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रंगलाल जाति स्वर्णकार निवासी केकड़ी तहसील ककड़ी जिला अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्योजीराम
2– बालकिशन उर्फ बालमुकुन्द पुत्र स्व0 श्योजीराम
3– सुरेश चुन्द पुत्र स्व0 श्योजीराम
4– श्रीमती शान्ति पत्नी स्व0 शंकरलाल
5– हरिराम पुत्र स्व0 शंकरलाल
समस्त जाति स्वर्णकार निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
6– ईश्वर चन्द पुत्र स्व0 रंगलाल जाति स्वर्णकार निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
7– राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री बसंत विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–5

निर्णय

दिनांकः– 20 सितम्बर, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

द्वारा प्रकरण संख्या 130/2002 में पारित निर्णय दिनांक 30–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3/वादीगण ने अपीलार्थी/प्रतिवादी एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष एक राजस्व वाद धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम केकड़ी में वीदगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 2307 रकबा 1–19–10, 2215 रकबा 0–2–10, 2303 रकबा 0–3–10, 2304 रकबा 0–8–10 व 2315 रकबा 1–15–10 बीघा है। राजस्व जमाबन्दी में यह भूमि श्री मदनलाल, श्योजीराम, शंकरलाल, ओमप्रकाश, ईश्वरप्रकाश पिसरान रंगलाल की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार श्री मदनलाल की अविवाहित ही फोत हो गया तथा मृतक मदनलाल व मृतक श्योजीराम के वारिस वादीगण है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण का 2/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या–1 ओमप्रकाश का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–2 ईश्वर प्रकाश का 1/5, प्रतिवादी संख्या 3–4 का 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी का बंटवारा करने हेतु कहा जाने पर प्रतिवादी ने मना कर दिया जिससे वादीगण को बंटवारा कराने एवं घोषणा के लिए यह दावा किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के 2/5 हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसमें वादकथन से इंकार किया गया। उनके अनुसार विवादित आराजी अकेले प्रतिवादी ओमप्रकाश के कब्जे काश्त में सन् 1981 से निरंतर चली आ रही है। वादी अथवा अन्य प्रतिवादीगण का इन भूमियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। मृतक मदनलाल के कभी भी वादीगण के पूर्व श्योजीराम की पगड़ी नहीं बंधी है और न ही वह मदनलाल के अकेले वारिस हैं। रंगलाल के पांचो पुत्रों ने दिनांक 08–12–72 को यह समस्त आराजियात रामकिशन पुत्र सुंदरा माली को 4000/– रूपये में रहन रख दी थी। प्रतिवादी ओमप्रकाश ने अकेले ने यह रहन की राशि

रामकिशन को चुकाकर अपने शेष भाईयों की सहमति से रहन मुक्त करवाई है। उसके शेष भाईयों ने अपने हिस्से की राशि ओमप्रकश को नहीं चुकाई है। अतः वह अकेला ही इन भूमियों पर काबिज काश्त है। वादीगण ने दिनांक 11–5–92 को प्रतिवादी ओमप्रकश से पारितवारिक समझौता कर विवादित आराजियात में उनका 1/4 हिस्सा एवं उनके आवासीय मकान 16,000/– रूपये में ओमप्रकाश को सौंपकर कब्जा सम्भलवाया है। इस प्रकार इन आराजियात में वादीगण का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रह गया है। पारिवारिक समझौते की तहरीर वादीगण पर बाध्यकारी है। विवादित भूमियां अकेले ओमप्रकाश के कब्जे काश्त में सन् 1981 से चली आ रही हैं जिससे उसका प्रतिकूल कब्जा साबित हो गया है एवं वादीगण का यह वाद मियाद बाहर है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदवा पेश नहीं किया गया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने 9 तनकियात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 19–7–2002 द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर उन्हें 1/4 हिस्से का खातेदार मानते हुए विभाजन के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय दिनांक 19–7–2002 से असंतुष्ट होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 ने अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 द्वारा अपील निरस्त करते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 19–7–2002 यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी का वाद विवादित आराजी के 1/4 हिस्से तक डिक्री पारित कर विधिक भूल की है। प्रत्यर्थी/वादी संख्या 1 से 3 श्रीमति कमला, बालकिशन व सुरेशचन्द द्वारा पारिवारिक समझौता किया गया था, जो प्रदर्शडी–3 है तथा उनके पिता व पति द्वारा इकरारनामा व रहननामा किया जो प्रदर्श डी–2 व प्रदर्शडी–3 है जिस पर श्योजीराम के

हस्ताक्षर है। इन दस्तावेजों से प्रत्यार्थी/वीदगण पाबंद है एवं प्रिंसिपल ऑफ स्टोपल के सिद्धान्त से पाबंद है। इसको नजरंदाज कर मनमाने ढंग से परीक्षण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3/वादीगण का वाद डिक्री किया है। आगे उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी नंबर 1 प्रत्यर्थी/वादीगण के पक्ष में तय की है कि विवादित आराजी के उनके अधिकार समाप्त हो गये है क्योंकि उन्होंने पारिवारिक समझौते को इन्कार नहीं किया। इसके अलावा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्णीत किया कि अपीलार्थी ने यह सिद्ध नहीं किया कि सम्पूर्ण आराजियात पर वह काबिज है, जबकि प्रदर्श डी–2 से स्पष्ट है अपीलार्थी विवादित आराजी पर काबिज है। यह भी कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी नंबर 6 को जिस प्रकार बनाया है उस प्रकार निर्णीत नही किया क्योंकि अपीलार्थी वर्ष 1981 जब से आराजियात को रहन से छुड़वायी थी तब से प्रत्यर्थी/वादी कब्जे में नहीं थे, अतः बिना कब्जे के खातेदारी घोषणा का वाद ही नहीं चल सकता, कब्जा प्राप्त करने की मियाद 12 वर्ष है तथा वादीगण ने वाद वर्ष 1995 में प्रस्तुत किया अर्थात 14 वर्ष बाद वाद पेश तथा धारा 183 बेदखली का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया। यह भी कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 8 एडवर्स पजेशन बाबत थी जिसे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी, जो वर्ष 1981 से काबिज काश्त है इसलिए वीदगण/ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अधिकार भी थे तो मुखालफाना कब्जा होने के कारण समाप्त हो गये लेकिन फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरूद्ध तय किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2002 निरस्त फरमाया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रंगलाल के पांचों पुत्रों की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जो राजस्व रिकार्ड में पांचो के नाम दर्ज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित किये है।

अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो इन संयुक्त कृषि भूमियों पर उसका अकेले का कब्जा हो। एक सह खातेदार का कब्जा सभी सह–खातेदारी का कब्जा माना जाता है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भमि सह खातेदारी की भूमि है। उनका यह भी कथन है कि घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद लाने के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है कोई भी सह खातेदार कभी भी यह अनुतोष प्राप्त करने के लिए दावा ला सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि सह खातेदारों के विरूद्ध मुखालफाना कब्जा नहीं माना जा सकता एवं मुखालफाना कब्जे से खातेदारी अधिकार प्राद्भूत भी नहीं होते हैं तथा चूंकि पारिवारिक समझौते में रूपयों के लेनदेन का विषय भी है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक समझौता मान्य नहीं है, क्योंकि वह अपंजीकृत है, अतः उसकी कानूनी वैद्यता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि दोनों ही अदालतों ने तनकीवार विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किये है, जो कि समवर्ती निर्णय है, अतः द्वितीय अपील स्तर पर कोई भी कानूनी बिन्दु ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इन निर्णयों में हस्तक्षेप करने की गुन्जाईश हो। इस प्रकार अपील सारहीन व बनावटी तथ्यों पर आधारित पर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री यथावत रखे जावें।

6– हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया जिससे हम यह पाते हैं कि दोनों पक्षकारों के यह तथ्य स्वीकार्य है कि भूमि विवादित भूमि पैतृक है। इसके साथ यह भी स्वाकार्य तथ्य है कि रंगलाल के पाँच पुत्र थे जिनमें से मदनलाल का लाऔलाद फोत हुआ है । मदनलाल की पगड़ी श्योजीराम के बन्धने का तथ्य वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तनकी नंबर 2 में सिद्ध नहीं कर सके तथा तनकी संख्या 4,5 व 6 जो कि प्रतिवादी के जिम्मे थे, जो कि प्रदर्श डी–1 रहननामा 4000/– रूपये, प्रदर्श डी–2 इकरारनामा तथा प्रदर्श डी–3 पारिवारिक समझौता इत्यादि का कानून की परिधि में परीक्षण न्यायालय ने विश्लेषण करते हुए तनकीयात प्रतिवादी के विरूद्ध तय की है और प्रतिवादी द्वारा उक्त

तीन दस्तावेज ही मुख्य आधार दावे के तथ्यों के इन्कारी के रहे हैं परन्तु इन दस्तावेजों के आधार पर वादीगण के वाद संबंधी तनकी नंबर–1 के विनिश्चय के विपरीत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके विश्लेषण में परीक्षण न्यायालय ने समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए रंगलाल के चारों पुत्रों को इस पैतृक भूमि में 1/4 – 1/4 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार होने की घोषणा किया जाना उपुयक्त माना है।

7– विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रदत्त तनकीवार निर्णय पर विवेचना भी तनकीवार ही की है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि व तथ्यों के नजरंदाज किया जाना नहीं पाया जाता है और चूंकि दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है, अतः द्वितीय अपील स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण विद्यमान नहीं होने से अपील में उठाये गए उज्रात सारहीन है।

8– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2002 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष